

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/158/2017

प्रवेश तिथि

15-09-2017

निर्णय दिनांक

23-10-2019

01- सुरता पुत्र लिख्मन जाति जाटव निवासी ग्राम चिमरावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

01- सहायक वन सरंक्षक राजगढ़ जिला अलवर।

02- क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

—रेस्पौडेन्ट

03- देवी सिंह पुत्र रामकिशन जाति जाटव निवासी ग्राम मौजपुर तह0 लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—तरतीबी रैस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय सहायक वन सरंक्षक राजगढ़ दिनांक 21.07.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 08/2017

उपस्थित:-

01-श्री अशोक शर्मा

—वकील अपीलाण्ट

02-क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़

—पेरोकार सरकार

—निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नप्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील सहायक वन सरंक्षक राजगढ़ के आदेश दिनांक 21.07.17 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रुंध मौजपुर की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा के 1/2 भाग पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रुंध मौजपुर की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा के 1/2 भाग पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 03.03.2017 को क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली व लगान से दण्डित किया। राज्य सरकार के पत्रांक एफ6(272) रेवेन्यू60 दि0 23.06.67 की पालना में 293 बीघा भूमि वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को दि0 25.08.70 को सम्भलवा दी गई। उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि दि0 09.08.70 को अपीलांट के पिता लिख्मन पुत्र हरफूल को आवंटित की गई। जिसका गैरखातेदारी का नामांतरकरण दि. 16.09.77 को स्वीकृत हुआ। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया है। राजस्व विभाग द्वारा के आदेश दि0 01.07.70 की पालना में आदेश क्रमांक 2128/एलआर दि0 25.08.70 द्वारा 227 बीघा 19 बिस्वा भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को सम्भलवा दी गई। अपीलांट को आवंटन तहसीलदार अलवर द्वारा किया गया है। जो आवंटन करीब 54 वर्ष पूर्व हुआ है। उक्त भूमि मिन अपीलांट को आवंटित की गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया और बटाईदार को पक्षकार बनाया गया है। अतः अपीलार्थी को बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्याया0 हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवालोकन से पाया कि पत्रावली में उपलब्ध आदेश क्रमांक 2128/एलआर दि0 25.08.70 की छायाप्रति पेश की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि रुंध मौजपुर की 227 बीघा 19 बिस्वा भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को हस्तानांतरित की गई है। उक्त संबंध में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई।—

P.T.O.


(2)

जिसमें तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलान्त/पिता का नाम गैरखातेदारी के नामांतरकरण जरिये पट्टा द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ दि. 09.08.70 को दर्ज होकर दि. 16.09.77 को स्वीकृत हुए हैं। अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर सहायक वन संरक्षक राजगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि ग्राम रुंध मौजपुर की 227 बीघा 19 बिस्वा भूमि क्षेत्रीय वन अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ को हस्तानांतरित की गई भूमि के संबंध में माननीय उच्चतर न्यायालयों व राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों के परिपेक्ष्य में जांच कर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


23/10/19
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)